

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

प्राथी राजेश कुमार पुत्र मौजीराम का पत्नी राजस्व जमावेंदी सेक्ट 2075-2078 में सा.
गिरधपुरा शाहपुरा तहसील- नवलगढ़ दर्ज है। प्राथी द्वारा प्रदत्त भू-च दस्तावेज आधार खास
पोसाना सा. देह खातेदार दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशपा की जाती है /नहीं की जाती है।

28/04/23
तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुंशुनू (राज.)

मु.नं. = 54/23

-: आदेश :-

दिनांक :- 28/4/23

प्राथी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी-सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	पोसाना	2075-78	330	सा. गिरधपुरा शाहपुरा तहसील- नवलगढ़ खातेदार	पोसाना सा. देह खातेदार

नोट :-शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

प्रशासन गावां के संग अभियान 202

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
प्रभारी अधिकारी
महंगाई राहत केम्प - 2023
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
दिनांक :- 28/4/2023

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 28
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्राथी/प्राथीयाको सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

प्रभारी अधिकारी
महंगाई राहत केम्प - 2023
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

